राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5 तेरहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का पांचवां दिवस संख्या: 4

शुक्रवार,
03 सितम्बर, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण) से दिनांक 3.9.2010 को राजस्थान पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अवैध रूप से एकत्रित हुई भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए भड़काने.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अवैध रूप से नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, अवैध रूप से नहीं हुई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: .....एवं कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के सम्बन्ध में कानून-व्यवस्था कायम रखने हेतु श्री ओम बिड़ला, विधायक, कोटा (दक्षिण) को आज दिनांक 3.9.2010 को समय 2.40 ए.एम. पर उद्योग मैदान, स्टेच्यू सर्किल के पास से व श्री पवन दुग्गल, विधायक, अनूपगढ़, श्री अमराराम, विधायक, दांतारामगढ़ व श्री राजेन्द्र राठौड़, विधायक, तारानगर को दिनांक 3.9.2010 को समय 7.00 ए.एम. पर स्टेच्यू सर्किल से धारा-151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल। श्री बनवारी लाल सिंघल। श्रीमती अनिता सिंह। श्री रामहेत सिंह। कर्नल सोनाराम चौधरी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बाड़मेर में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के तेल दोहन से प्राप्त रायल्टी

53. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है? यदि हां, तो प्रतिमाह कितना ऑयल निकाल कर बाहर भेजा जाता है?

(2) उक्त तेल के दोहन से राज्य सरकार को अब तक कुल कितनी रायल्टी मिली है?

(3) क्या सरकार इस प्राप्त रॉयल्टी की आय में से कुछ हिस्सा बाड़मेर जिले में व्याप्त पेयजल संकट के निवारण हेतु एवं अन्य विकास कार्यों पर व्यय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और कैसे व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री रामलाल): (1) जी हां, बाड़मेर जिले में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से दिनांक 29.08.2009 से क्रूड ऑयल का उत्पादन आरम्भ किया गया। वर्तमान में लगभग 4 लाख मैट्रिक टन प्रतिमाह का उत्पादन किया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार को क्रूड ऑयल के दोहन से जुलाई, 2010 तक कुल रुपये 302.42 करोड़ रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं।

(3) रॉयल्टी से प्राप्त आय राज्य की समेकित निधि में जमा होती है। विभिन्न विकास कार्यों पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित निर्णय पृथक से लिये जाते हैं जिनका मद विशेष तथा क्षेत्र विशेष से प्राप्त आय से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का बाड़मेर में ऑयल निकलता है वह मेरे बायतू से सम्बन्धित है। यह सवाल वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित है इसमें मैंने पूछा है कि इसमें जो रॉयल्टी से राशि आ रही है वह बाड़मेर में खासकर के जलदाय योजना में कितने प्रतिशत खर्च करेंगे? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

इस रॉयल्टी से प्राप्त आय को.... (व्यवधान) बाड़मेर में क्रूड ऑयल निकल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, आज ऑयल राजस्थान से निकल रहा है, राजस्थान को रॉयल्टी मिल रही है। यही ऑयल अगर गुजरात में निकलता, पंजाब में निकलता, हरियाणा में निकलता, केरल में निकलता तो उनको मिलती। अब बाड़मेर में निकल रहा है और बाड़मेर में रॉयल्टी मिल रही है। (व्यवधान) 302 करोड़ मिली है। अगस्त के शुरूआत में प्रधान मंत्री आये थे, अगस्त से लेकर के जुलाई तक सिर्फ टैंकर से जाता था उससे करीब 30 हजार बैरल पर-डे जाता था। अब वह बंद करके पाइप लाइन से जा रहा है और पाइप लाइन से एक लाख 25 हजार के करीब जा रहा है और आगे बढ़कर के एक लाख 75 हजार हो जाएगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल तो होने दो। 10-5 मिनट तो दो। (व्यवधान) प्रश्नकाल तो होने दो। बैठ जाओ न। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): उससे रॉयल्टी करीब 8 गुना हो जाएगी यह आप जानते हो और हर साल करीब 2 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे और 2 हजार करोड़ रुपये में क्योंकि यह ऑयल बाड़मेर से निकलता है तो अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपका डिपार्टमेंट तो नहीं है पर यहां वित्त मंत्री जी भी विराजमान नहीं है मुख्य मंत्री जी, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं

कि दो हजार करोड़ पाँच साल जो रॉयल्टी मिलेगी उसमें से आधी राशि बाड़मेर में जो वहां की जलदाय योजना है उनको दिया जाए। वहां तीन चार जलदाय योजनाएं हैं। (व्यवधान) एक तो बाड़मेर लिफ्ट, पोकरण फलसूण हरिके बैराज है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू में आती है। तीसरा है उम्मेर सागर। (व्यवधान) चौथी है जो नर्मदा से है। उनको पानी के लिए आधा मिलना चाहिए। (व्यवधान) पिछली सरकार ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल गलत जवाब दिया है। यह जवाब दिया है कि इससे इसका सम्बन्ध नहीं है। कैसे सम्बन्ध नहीं है? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

एक मिनट। मैं कहना चाहता हूं कि एमपीटी में 18 वैल हैं उन 18 वैल में से 16 वैल मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू में आ रहे हैं। वहां पर पीने का पानी नहीं है इसलिए मैं कहूंगा कि इसके अन्दर आधा मिलना चाहिए और यदि इसमें एक पैसा नहीं दिया तो वहां के लोग बहुत आक्रोश में हैं, बहुत गुस्से में हैं और वहां के लोग मजबूरी में धरना देंगे या इस तरह से करेंगे जो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मुख्य मंत्री जी आज यहां हैं नहीं, जिनके पास वित्त मंत्रालय हैं उनसे मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इनमें से आधा पैसा जो जलदाय योजना हैं उनके लिए आवंटित करें। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया। श्री बाबूसिंह राठौड़। डा. रघु शर्मा। एक मिनट प्लीज ठहरिये। मंत्रीजी, बैठिये। श्री बाबूसिंह राठौड़। अपनी सीट पर जाकर, अपनी सीट पर जाकर, अपनी सीट पर जाकर। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न मैंने किये हैं इनके जवाब मुझे मिले नहीं हैं। सरकार ने क्या जवाब दिया है उसकी मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कम से कम यह व्यवस्था तो करवा दीजिये कि जो सवाल हम लोग उठाते हैं उनके जवाब मिल जाएं। मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। इस प्रश्न का जवाब नहीं है मेरे पास।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हमने तो भिजवा दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह जलदाय मंत्री जी ने जवाब पेश कर दिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको देखूंगा कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। आप प्रश्न करिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तो मैं प्रश्न कहां का पूछूं माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: विधान सभा सचिवालय ने जवाब भेजा है मैं इसकी जानकारी कराऊंगा और कहीं गलती रही है तो उसके बाद देखूंगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लेकिन मैं पूरक प्रश्न कहां से पूछ पाऊंगा फिर? मंत्रीजी का जवाब भी नहीं आया कोई।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ जायेगा।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हमने तो सचिवालय को भेज दिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अभी जवाब दे दें यहां पर। पहले जवाब नहीं मिला, अभी जवाब दे दें यहां। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये, मंत्री जी। यह गलती कैसे हुई? व्यवस्था कैसे नहीं हुई? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

vkj/akt/3.9.2010/11.10/1b

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के गांवों को बीसलपुर योजना से जलापूर्ति

56. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कितने गांवों को बीसलपुर योजना से जोड़ा जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के जिन गांवों को अभी तक बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा गया है, सरकार उन्हें कब तक उक्त योजना से जोड़े जाने का विचार रखती है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर बाँध से वर्तमान में कितने दिनों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है? क्या सरकार प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(4) वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): (1) वर्ष 2001 की जनगणनानुसार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कुल 186 ग्रामों में से 164 ग्रामों को बीसलपुर बाँध आधारित पेयजल योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) उक्त क्षेत्र के बीसलपुर योजना से जुड़ने से वंचित कुल 22 ग्रामों में से 14 ग्रामों की बीसलपुर बाँध आधारित योजनाएं स्वीकृत हैं। बीसलपुर बाँध में पानी की आवश्यक मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित होने इन ग्रामों को जोड़ना प्रस्तावित है।

शेष आठ ग्रामों में से छह ग्राम बाँध के डूब क्षेत्र में एवं दो ग्राम गैर आबाद होने के कारण इन्हें बीसलपुर योजना से नहीं जोड़ा जाना है।

(3) इस वर्ष वर्षा पूर्व बीसलपुर बाँध में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण माह जुलाई, 2010 के तृतीय सप्ताह से उक्त क्षेत्र के केकड़ी एवं सरवाड़ कस्बे में 120 घंटे के अंतराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाँध से पेयजल आपूर्ति पूर्णतया बंद है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाँध में जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करना संभव नहीं है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों (164 ग्राम) में 48 घंटे के अंतराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(4) उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के केकड़ी एवं सरवाड़ कस्बे तथा 164 ग्रामों में बीसलपुर बाँध आधारित जल योजनाओं से वर्तमान में 48 घंटे के अंतराल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

14 ग्रामों में से एक ग्राम पम्प एवं टैंक योजना से तथा 13 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं जिन्हें बीसलपुर बाँध में पानी की आवश्यक मात्रा उपलब्धता सुनिश्चित होने पर जोड़ना प्रस्तावित है। (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, यह 14 गांवों को, मतलब कुल 22 गांव अभी तक मेरे यहां नहीं जुड़े हुए हैं, उनमें से 14 गांवों को कब तक सरकार जोड़ देगी? बार-बार, पिछली बार भी मैंने सवाल उठाया था, तब इन्होंने यही कहा था कि हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, यह आश्वासन कब तक देती रहेगी सरकार और जो बचे हुए गांव हैं, उनके लिए वैकल्पिक जल प्रबन्धन की क्या व्यवस्था सरकार ने की है? जब गर्मी का मौसम था, कंटीन्जेंसी प्लान के तहत सरकार ने जगह-जगह हैण्डपम्प खोदने के लिए पैसे दिये और टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की, वह व्यवस्था पूरी बंद कर दी है वर्तमान में। न जलदाय विभाग बीसलपुर का पानी दे रहा है, न टैंकरों से सप्लाई हो रही है, ऐसे में उन गांवों में पेयजल की भीषण किल्लत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पहले जो वैकल्पिक व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से गांव में पानी के प्रबन्धन के लिए सरकार द्वारा तय की गई थी, उनको जारी रखने का सरकार का इरादा है या नहीं है, इसका जवाब दें।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बाँध का जल स्तर 307 मीटर से ऊपर है और इस साल से ये 14 प्रस्तावित गांवों को बीसलपुर बाँध से पानी देने की योजना है। (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजिये। (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.13 बजे, 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

03.09.2010-12.00-1g/jkj/akt

(12.00 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति । कृपया बिराजें।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

नगेन्द्र बाला, श्रीमती, पूर्व सदस्य के निधन पर

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुई इस विधान सभा की पूर्व सदस्या श्रीमती नगेन्द्र बाला के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्या श्रीमती नगेन्द्र बाला का जन्म 13 सितम्बर, 1926 को कोटा में हुआ। आपने विशारद् की शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती नगेन्द्र बाला तीसरी तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस की विधायक रहीं। आपने तीसरी विधान सभा में छबड़ा तथा पांचवीं राजस्थान विधान सभा में दीगोद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति की सभापति रहीं। श्रीमती नगेन्द्र बाला अपने सार्वजनिक जीवन में समाज कल्याण बोर्ड, ऑल इण्डिया रेडियो सलाहकार समिति, डिवीजनल रेल्वे सलाहकार बोर्ड तथा प्रदेश महिला परामर्शदात्री समिति की सदस्य रही। आप वर्ष 1982 से 1988 तक समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी रहीं। आप पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद कोटा जिला परिषद की प्रथम प्रमुख रहीं। अध्ययन एवं समाज सेवा में रूचि रखने वाली श्रीमती नगेन्द्र बाला की कवितायें, गद्य-काव्य एवं निबन्ध स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। अनेक समाजसेवी संस्थाओं से सम्बद्ध रही श्रीमती नगेन्द्र बाला कांग्रेस सेवा दल तथा युवक कांग्रेस की भी सदस्य रहीं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला का दिनांक 1 सितम्बर, 2010 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्रीमती नगेन्द्र बाला को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।)

ओम् शांति।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

विधान सभा सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना निर्धारित प्रपत्र में एवं पूर्ण नहीं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, 164 । अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न काल के समय आपने जो सदन को सूचित किया वह आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन उसमें नियमों की अवहेलना हुई है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो राजस्थान विधान सभा में आते हैं, माननीय गृह मंत्रीजी, उनका यह अधिकार है कि उनको विधान सभा में आने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़ कर और जब रोका जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय को इसको सूचित किया जाता है और सूचना देने में जिन-जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उसका भी अपने नियमों में प्रावधान किया हुआ है, पहले उसमें पढ़ कर मैं आपको उसके बाद में अपनी बात दो मिनट में समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नियम 164- जब कोई सदस्य दण्ड, दोषारोपण, किसी दण्ड अपराध के लिए बंदी किया जाय, उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरूद्ध किया जाय तो यथास्थिति दण्ड देने वाला न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका अधिकारी तृतीय अनुसूची में दिये गये समुचित रूप, प्रपत्र में यथास्थिति बंदीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए तथ्य की सूचना तुरंत अध्यक्ष को देगा। अब अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना दी गई है, माननीय गृह मंत्रीजी, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर(दक्षिण) से दिनांक 03.09.2010 को राजस्थान पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अवैध रूप से एकत्रित भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए, पहली बात यह है कि आपको गलत तथ्यों की जानकारी दी गई, नीचे उन्होंने लिखा है कि इनको सुबह सात बजे गिरफ्तार किया गया है, यह मीटिंग परसों हुई, तथ्यों की गलत सूचना आपको देना, मैं आगे पढ़ता हूं, अवैध रूप से एकत्रित भीड़ को हिंसा फैलाने के लिए भड़काने, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, कानून-व्यवस्था कायम रखने हेतु ओम बिरला, विधायक कोटा(दिक्षण) को आज 3.9.2010 को समय 2.40 ए.एम. पर उद्योग मैदान, रात को, स्टेच्यू सर्किल के पास से और पवन दुग्गल, विधायक अनूपगढ़, श्री अमरा राम, विधायक दांतारागढ़ व श्री राजेन्द्र राठौड़, विधायक तारानगर को दिनांक 3.9.2010 को समय 7.00 ए.एम. पर स्टेच्यू सर्किल से धारा 150 सीआरपीसी में गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें इनको गिरफ्तार करने के बाद में कहां लेकर गये और कहां रखा, यह सूचना भी इसमें देना आवश्यक था, जो इस प्रपत्र में आपको नहीं दी गई। इस प्रकार से सदन के ही नहीं, लोक सभा, विधान सभा के अध्यक्ष का, आसन के, इनके भी विशेषाधिकार का हनन किया है और अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में हम जब आते हैं तो हमको रोकने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। विधान सभा के बाहर कोई धरना देने आता है तो हम मिलने के लिए जाते हैं।

विधान सभा के बाहर कोई आता है तो आपसे लाकर हमको मिलाते हैं, मंत्रियों से लाकर मिलाते हैं। अगर हमारे इस काम को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाला और चौपट करने वाला समझा जायेगा तो हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। सरकार ने यह जो कदम इन चारों विधायकों को और एम.पी. किरोड़ी लालजी मीणा को गिरफ्तार किया है वह अन्यायपूर्ण है, विधान सभा की अवहेलना की है, विशेषाधिकार का हनन किया है, तानाशाही की है और लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयत्न किया है, उसका हम विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भर में रास्ते रोक दिये गये हैं....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपात काल की सी स्थिति सरकार ने लागू कर दी, सरकार क्या लाठी और डण्डों के बल पर पंचायत राज के सरपंचों को दबा देगी, एम.एल.एज को दबा देगी.....(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): काहे की बात करते हैं आपात काल की, काहे की बात करते हैं, +++ (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस प्रकार का जो आपने काम किया है हम घोर विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): +++ जेल के अंदर जाना चाहिए आप जैसे लोगों को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: रणवीर गुढ़ा को किसने रोका था।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप जब देखो आपात काल की (व्यवधान) शर्म नहीं आती है आप लोगों को। (व्यवधान) इस तरह की हालात राजस्थान के अंदर जिस तरह की हरकत की है आप लोगों ने, सरे आम गुण्डागर्दी, सरे आम कत्ल (व्यवधान) आप आप बात करने आई, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :- (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान)

+++ **अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।**

श्री अध्यक्ष: (1) श्रीमती अनिता भदेल एवं पाँच अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की भर्ती में हुए कथित घोटालों के संबंध में ।

एक माननीय सदस्य: वसुंधराजी, हिसाब दो कितने मरवाये आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (2) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से वर्षा के कारण जोधपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। (व्यवधान)

(3) श्री कालीचरण सराफ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (4) श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य की ओर से राज्य में नरेगा योजना में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): भ्रष्टाचारियों । (व्यवधान) नाश हो तुम्हारा, भ्रष्टाचारी का।

श्री अध्यक्ष: उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बात करते हैं आप, आप बड़े हिमायती बनकर आये हा, आपको शर्म आनी चाहिए। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को। (व्यवधान) किस तरह की बात कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (5) श्री हरिसिंह रावत एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों की परिधि/पेराफेरियल बेल्ट के गांवों एवं ढाणियों की आबादी विस्तार हेतु भूमि के पट्टे जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से पाकिस्तान सीमा से लगते जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में कथित रूप से पाकिस्तानी जासूसों की बसावट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जन प्रतिनिधियों को अधिकार दिये, सरपंचों को दो दिन का अधिवेशन...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। मंत्रीजी। (व्यवधान) कृपया विराजें, आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) व्यवधान नहीं, आप लोग भी कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पहले उसका हिसाब बताओ। (व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। (7) श्री बाबूलाल बैरवा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से कृषि उपज समिति खेड़ली जिला अलवर के प्रांगण में कथित रूप से किये जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में।

(8) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर की सेण्ट्रल जेल में कैदियों से मोबाइल फोन व अन्य अवैध वस्तुओं की बरामदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

Lpm/akt/1210/1h/03092010

9. श्री बंशीधर खण्डेला एवं पाँच अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर में अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा काश्तकारों को नाजायज रूप से परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से रावतभाटा परमाणु बिजली घर से निकलने वाली विकिरणों से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में।

11. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधायक कोष के कार्यों में विधायक द्वारा की अभिशंसित एजेंसी के स्थान पर जिला परिषद द्वारा अन्य एजेन्सी से कार्य सम्पन्न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग में परिवेदनाओं के नाम पर सैकड़ों शिक्षकों का स्थानान्तरण मानदण्डों के विपरीत किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री बंशीधर खण्डेला, श्री राव राजेन्द्र सिंह, श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री बंशीधर खण्डेला (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बोलने के लिए अनुपस्थित)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान)... दो दिन अधिवेशन चलाया श्री अशोक गहलोत सरकार ने ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजे। श्रीमती किरण माहेश्वरी (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बोलने के लिए अनुपस्थित)

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से अलवर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुणसार तहसील कोटकासिम के प्रधानाचार्य के स्थानांतरण पर ग्रामीणों में व्याप्त रोष के संबंध में।

2. श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर स्थित गणगौरी बाजार में स्थित पं. दीनदयाल उपाध्या राजकीय चिकित्सालय का नाम परिवर्तन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से जिला झुन्झुनू की तहसील बुहाना एवं नवनगढ़ के मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में।

4. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में लंबे समय से लंबित ओवरब्रिज का निर्माण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्रीमती मंजू देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के सीमावर्ती ग्रामों ढाणियों एवं बीपीएल चयनित परिवारों के विद्युत कनेक्शन मुहैया नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर में सड़कों तथा स्ट्रीट लाइटों की दुर्दशा के कारण आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में।

7. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

8. डॉ0 फूलचंद भिण्डा, सदस्य की ओर से 1995 में अध्यादेश से स्थायी हुए व्याख्याताओं, प्राचार्यों, उप प्राचार्यों का छठे वेतनमान में स्थिरीकरण करने के संबंध में।

9. श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही के संबंध में।

10. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से जोधपुर डिस्कॉम द्वारा किसानों को ट्यूबवैलों पर कृषि कनेक्शन दिये जाने के लिए थ्री स्टार रेटिंग विद्युत मोटर, फव्वारा तथा डिग्गी निर्माण की शर्तों की अनिवार्यता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. डॉ0 जसवंत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बिजली की कमी के कारण किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

12. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से सिरोही-मण्डार राज मार्ग के खतरनाक घुमावों को ठीक करने के संबंध में।

इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

आज दिनांक 03 सितम्बर,2010 को शून्यकाल में बोलने हेतु चार पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिसमें सलाहकार द्वारा चार पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित हैं:-

श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री शाले मोहम्मद, श्री पेमाराम, श्री कर्नल सोनाराम।

श्री राधेश्याम गंगानगर (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री शाले मोहम्मद।

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

पर्ची के माध्यम से उठाए गये मुद्दे

जैसलमेर जिले में मलेरिया का प्रकोप

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जैसलमेर जिले में हाल ही वर्षा के कारण मलेरिया की स्थिति ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हाल ही में जैसलमेर जिले में बारिश होने की वजह से इस क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी ...(व्यवधान)... वहां पर मलेरिया की जो स्थिति है...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

...(व्यवधान)... नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मलेरिया के हालात को सुधारने के लिए पूरे गांवों में, हर गांव में यदि डीडीटी का छिड़काव नहीं किया गया तो ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इतना फैल गया है कि कंट्रोल से बाहर हो गया ...(व्यवधान)... मलेरिया काफी जगह हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इन गांवों में डीडीटी का छिड़काव करे ...(व्यवधान)... ताकि मलेरिया आगे नहीं फैले। इसके अलावा मैं बाबा रामदेव का मेला भी शुरू हो गया है और उस मेले के कारण वहां पर लाखों की संख्या में ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

उनकी वजह से काफी ...(व्यवधान)... वहां डॉक्टर्स की कमी है ...(व्यवधान)... बीमार होता है या ऐक्सीडेंट केस जो होते हैं उसे बड़ी तकलीफ होती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत रूप से वहां डॉक्टर्स लगाये जाये ताकि वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम। (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री कर्नल सोनाराम।

लूणी नदी में टैक्सटाइल यूनिट्स के गन्दे पानी से उत्पन्न स्थिति

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं आपके माध्यम से इसमें ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जोगी नदी जो जोधपुर के आसपास बनावड, जोधपुर, शेखावाटी, बंदावड़ा, सालावा, बोरानाडा से होती हुई यह जाकर के लूणी नदी में मिलती है और इसके आसपास में करीब

53 टैक्सटाइल की यूनिट्स हैं। जिससे वहां से पानी, जो गंदा पानी है उसका कायदे से उसका ट्रीटमेंट होकर के इस नदी में डालना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूंता हूं कि उसमें से ट्रीटमेंट हुआ नहीं और जो कुछ इकाइयां 53 इकाइयों में करीब 36 इकाइयां ऐसी हैं जो अन-ओथोराइज्ड हैं व उनको स्वीकृति नहीं मिली है तो हुआ क्या कि पानी जोगी नदी से होता हुआ जोधपुर जिले से आगे यह लूणी नदी में जाता है और वहां से पहुंचता हुआ आगे कई गांवों में निकलता है खोलीखुर्द, श्यामनगर, मोटावास, अराबा, बाकियावास, कल्याणपुर, चितली, चारूलाई कला और वहां से होते हुए नेशनल हाइवे 112 से निकला और उसका नतीजा यह हुआ, अबके मानसून अच्छी थी और बहुत अच्छी फसलें थी और उन फ़सलों से होता हुआ यह पीला पानी जो निकला है इससे वहां फसलों को बहुत नुकसान हो गया। वहां का जो प्रशासन है वह अब जागा है और उन्होंने जो टैक्सटाइल की यूनिट्स थी उनको वहां पर सारा का सारा जितना था उसके कनेक्शन काट दिये हैं और अभी कार्यवाही शुरू हुई है तो मैं यहां पूछना चाहता हूं कि इतनी जब टैक्सटाइल की इकाइयां लगी थी, यह बहुत बड़ा मुद्दा है इसका परमिशन क्यों दिया गया, अब काट दी गई है। इसके अंदर मेरी आपसे जो मांग है वह चार मांग है। इसके अंदर मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आप एक विधायकों का दल भेज कर इसका सर्वे करवाये और दूसरी मेरी यह मांग है कि जो गांव से, घरों से गंदे पानी से, खासकर से डोली गांव के अंदर जो हाइवे के ऊपर आ गया है उन गांवों के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, खेती के नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इसमें जोधपुर जिला ही नहीं है, जोधपुर जिला और बाड़मेर जिला दोनों इससे प्रभावित हुए हैं और यह हमारे मुख्यमंत्री जी का जिला है। वहां पर इस तरह से बड़ा हादसा हो जाता है तो उससे हमको बड़ा नुकसान होता है। यह किसानों का मामला है। इसलिए मेरी आपसे जो मांगे हैं इसको आप कृपा करके यहां जो इससे प्रभावित तीन मंत्रालय होते हैं एक तो पर्यावरण का है, एक जो खेती का नुकसान हुआ है कृषि विभाग है तो सर्वे कराकर इसका जो नुकसान हुआ है उनको जल्दी से जल्दी से मुआवजा दिलाने का कष्ट करे। धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति (क्र.सं. 10 से 18)

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्रीमती मंजू देवी।

श्रीमती मंजू देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित 9 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

1. राज्य में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, दहेज के लिए प्रताड़ना, हत्या के लिए धमकी देना व झूंठे आरोपों पर कार्यवाही संबंधी महिलाओं एवं बालकों के कारण संबंधी समिति, 2010-2011 का दसवां प्रतिवेदन।

2. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी, वर्ष 2005-2006 के द्वारा महिला सैन्ट्रल जेल के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

3. महिलाओं के साथ दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा जान से मारने की धमकी एवं अन्य उत्पीड़न संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का बारहवां प्रतिवेदन,

4. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय शिशुगृह, बालिका गृह एवं राजकीय कन्या छात्रावास गांधीनगर के दिनांक 18.5.2004 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण से संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का तेरहवां प्रतिवेदन,

5. जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर के दिनांक 13.10.1999 एवं 26.8.2004 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का चौदहवां प्रतिवेदन,

6. उत्पीड़ित महिलाओं एवं संस्थाओं की ओर से प्राप्त शिकायतों तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकरणों का निराकरण करवाने संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का पन्द्रहवां प्रतिवेदन,

7. महिला बंदीगृह, केन्द्रीय कारागार, जयपुर का आकस्मिक निरीक्षण (दिनांक 13 नवम्बर,2009) संबंधी कार्यवाही पर महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का सोलहवां प्रतिवेदन,

8. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के चतुर्थ प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का का परिपालनात्मक सत्रहवां प्रतिवेदन एवं,

9. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2005-2006 के सप्तम प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का परिपालनात्मक अठारहवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (बोलने के लिए अनुपस्थित)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक,2010

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक,2010

श्री भरतसिंह।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक,2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री राजकुमार रिणवां (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री अशोक पींचा (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री रमेश चन्द मीणा (बोलने के लिए अनुपस्थित)

डा0 दिगम्बर सिंह (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री ओम बिरला (अनुपस्थित)

श्री अभिषेक मटोरिया (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री अशोक डोगरा (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री अर्जुन लाल (बोलने के लिए अनुपस्थित)

डॉ0 फूलचन्द भिण्डा (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री बंशीधर खण्डेला (बोलने के लिए अनुपस्थित)

डॉ0 विश्वनाथ मेघवाल (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम गंगानगर (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री वासुदेव देवनानी (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री अब्दुल सगीर खां (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री सुखराम (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार (बोलने के लिए अनुपस्थित)

डॉ0 जसवन्त सिंह यादव (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री कैलाश चन्द भंसाली (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्रीमती कमला कस्वां (बोलने के लिए अनुपस्थित)

सुश्री सिद्धि कुमारी (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्रीमती कमसा मेघवा (बोलने के लिए अनुपस्थित)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बोलने के लिए अनुपस्थित)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

Bhs/akt/03.09.10/12.20/1j

प्रश्न यह है कि खंड -2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: : जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

(सदन में नारेबाजी।)

जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित), डॉ. दिगम्बर सिह, श्री ओम बिरला (अनुपस्थित), श्री ओटाराम देवासी, श्री जगसीराम, श्री फूलचंद भिण्डा, श्री बंशीधर खंडेला, श्रीमती प्रमीला कुण्डारा, श्री हनुमान बेनीवाल, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (माननीय सदस्यगण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खंड-2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड -2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-2 स्वीकार किया गया।

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये। श्री भरत सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: : जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

(सदन में नारेबाजी।)

जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

राष्ट्र गीत

जन गण मन अधिनायक जय हे,भारत भाग्य विधाता।

पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,द्रविड़ उत्कल बंगा।

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,

उच्छल जलधि तरंगा।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।

गाहे तव जय गाथा,

जन गण मंगलदायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.24 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)